अपील सूचना अधिकार संख्या 167/2020(GCMS 2020/00290) श्री राधेश्याम गोयल निवासी मकान नं. 23 के ब्लॉक, श्रीगंगानगर(मोबाईल नं. 94139–35077) (पोस्टल ऑर्डर नं. 41एफ/166500) <u>बनाम</u> लोक सूचना अधिकारी एवं उपजिला निर्वाचन अधिकारी, श्रीगंगानगर

<u>08.03.2023</u>

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी राधेश्याम गोयल स्वयं उपस्थित नहीं हुआ। पत्रावली का अवलोकन किया गया तो पाया कि अपीलार्थी ने **लोक सूचना अधिकारी एवं उपजिला निर्वाचन अधिकारी, श्रीगंगानगर** से सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपने आवेदन पत्र दिनांक 29.09.2020 से ग्यारह बिन्दुओं की सूचना चाही थी, जो लोक सूचना अधिकारी ने उसे निश्चित समय सीमा में उपलब्ध नहीं करवाई है इसलिए उसने लोक सूचना अधिकारी एवं उपजिला निर्वाचन अधिकारी, श्रीगंगानगर पर शास्ति अधिरोपित करने, हर्जाना प्रार्थी को दिलवाने एवं वांछित सूचनाएं उपलब्ध करवाने की प्रार्थना के साथ यह अपील है।

मैनें पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी राधेश्याम गोयल ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपने आवेदन पत्र दिनांक 29.09.2020 के द्वारा उपजिला निर्वाचन अधिकारी, श्रीगंगानगर से निम्न ग्यारह बिन्दुओ की सूचना चाही थी:

1. ई.आर.ओ. श्रीगंगानगर के पत्रांक 1638 दिनांक 26.03.2015 के पत्रांक की सूचना व प्रमाणित प्रति, जिसमें यह अंकित है कि सुभाष गोयल की दिनांक 06.04.2014 को ड्यूटी निरन्तर थी।
2. यह आधार [illegible] है कि सुभाष गोयल की ड्यूटी 06.04.2014 को [illegible]।
3. सुभाष गोयल की एल.ओ. का यह कथन कि उसने दिनांक [illegible] 2014 से दिनांक 07.04.2014 त[illegible] मुख्यालय छोड़ने की अनुमति बैंक प्रशासन से ली थी इस बाबत सूचन व प्रमाणित प्रति।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sourabh Swami
Date: 2023.05.19 17:17:48 IST
Reason: SelfAttested

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

4. जिस अधिकारी द्वारा यह कथन पत्रांक 1638 दिनांक 16.03.2015 रहे गये है उस अधिकारी का नाम व पद की सूचना।
5. लोक सभा चुनाव के दौरान आचार संहिता लागू होने के उपरान्त चुनाव ड्यूटी में कार्यरत समस्त अधिकारी व कमीश्नर चुनाव प्रशासन की अनुमति के बिना अवकाश पर मुख्यालय नहीं छोड़ सकते। इस पर बैंक प्रशासन द्वारा जिस अधिनियम की जिस धारा के अन्तर्गत बी.एल.ओ. सुभाष गोयल को दिनांक 05.04.2014 से 07.04.2014 तक मुख्यालय छोडने की अनुमति जिस अधिकारी द्वारा जिस नियम के अन्तर्गत दी गयी है, उसका नाम व पद की सूचना व नियम की सूचना व प्रतिलिपि।
6. दिनांक 05.04.20214 से 07.04.2014 तक मुख्यालय पर न रहने के उपरान्त दिनांक 06.04.2014 को मुख्यालय पर चुनाव में ड्यूटी निरन्तर जिस अवस्था में जिस अधिनियम के अन्तर्गत रह सकती है उसकी प्रमाणित सूचना मय दस्तावेज व नियम की सूचना व प्रमाणित प्रति।
7. बी.एल.ओ. श्री सुभाष गोयल चुनाव ड्यूटी में जिस सेक्टर मजिस्ट्रेट के अधीन कार्यरत में उसका नाम व पद की मुख्यालय छोड़ने की अनुमति बैंक प्रशासन दिनांक 05.04.2014 से 07.04.2014 तक दी थी।
8. बी.एल.ओ. श्री सुभाष गोयल लोकसभा चुनाव में किस अवधि में किस किस अवधि तक जो जो कार्य किये उसकी हस्तलिखित हस्ताक्षरित शपथ–पत्र पर सूचना व प्रमाणित प्रति।
9. बी.एल.ओ. श्री सुभाष गोयल के पैतृक कार्यालय का चुनाव के कार्यों के निष्पादन के दौरान जो जो प्रशासनिक कार्य उसके नियंत्रण में होते है उन कार्यों की सूचना व नियम की प्रमाणित प्रति।
10. बी.एल.ओ. पैतृक कार्यालय [illegible] मूल पद के दायित्वों का निर्वहन करते [illegible] पर प्रशासनिक विभाग के नियंत्रण में रहेगें। (पुस्तको 201[illegible] पृष्ठ सं. 4 बिन्दु सं. 2)

उपरोक्त कथन में बी.एल.ओ. मुख्यालय से बाहर जायेगा तो निर्वाचन विभाग से अनुमति लेगा या पैतृक विभाग से इस बाबत सूचना व नियम की प्रमाणित प्रति।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sourabh Swami
Date: 2023.05.19 17:17:48 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

11. दिनांक 05.04.20214 से 07.04.2014 तक मुख्यालय छोड़ने से पूर्व जिस निर्वाचन विभाग के अधिकार या बैंक अधिकारी से आवेदन दिया उसकी सूचना व आवेदन की प्रमाणित प्रति व उस आवेदन को जिस प्राप्ति पंजिका में दर्ज किया गया। उसका नम्बर व दिनांक व मार्किंग करने वाले अधिकारी का नाम व पद की सूचना व प्रमाणित प्रति।

सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, श्रीगंगानगर ने अपने पत्रांक सूकाआ/2018/4149 दिनांक 20.11.2018 से अपीलार्थी को निम्नानुसार जवाब प्रेषित किया है :

उपर्युक्त विषयान्तर्गत आप द्वारा चाही गई सूचना बिन्दुवार निम्न प्रकार से है:

क्र.स.	वांछित सूचना	प्रतिउत्तर
1	ई.आर.ओ. श्रीगंगानगर के पत्रांक 1638 दिनांक 26.03.2015 के पत्रांक की सूचना व प्रमाणित प्रति, जिसमें यह अंकित है कि सुभाष गोयल की दिनांक 06.04.2014 को ड्यूटी निरन्तर थी।	दिनांक 26.03.2015 को वांछित क्रमांक 1638 जारी नहीं है। सही तारीख का अंकत करें ताकि वांछित नकल उपलब्ध्ध करवाई जा सके।
2	यह आधार जिस पर यह कथन किये गये है कि सुभाष गोयल की ड्यूटी 06.04.2014 को निरन्तर थी।	कार्यालय सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी (उप पंजीयक) श्रीगंगानगर के पत्रांक 41 दिनांक 05.08.2014 में सूचित किया जा चुका है।
3	सुभाष गोयल बी.एल.ओ. ... यह कथन कि उसने दिनांक 05.04.2014 से दिनांक 07.04.2014 तक मुख्यालय छोड़ने की अनुमति बैंक प्रशासन से ली थी इस बाबत सूचन व प्रमाणित प्रति।	...प्रमाणित प्रतिलिपि संलग्न

Signature Not Verified
Digitally signed by Sourabh Swami
Date: 2023.05.19 17:17:48 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

क्र. स.	वांछित सूचना	प्रतिउत्तर
4	जिस अधिकारी द्वारा यह कथन पत्रांक 1638 दिनांक 16.03.2015 रहे गये है उस अधिकारी का नाम व पद की सूचना।	लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना सृजित करना या सूचना की व्याख्या करना या आवेदन द्वारा उठाई गई समस्याओं का समाधान करना या काल्पनिक प्रश्नों के उत्तर देना अपेक्षत नहीं है। सूचना का सृजन करना अधिनियम के कार्यक्षेत्र से बाहर है चूंकि खोजकर खोजे गये तथ्यों के आधार पर नई सूचना बनाकर दिया जाना सूचना के अधिकार के तहत नहीं आता है।
5	लोक सभा चुनाव के दौरान आचार संहिता लागू होने के उपरान्त चुनाव ड्यूटी में कार्यरत समस्त अधिकारी व कमीश्नर चुनाव प्रशासन की अनुमति के बिना अवकाश पर मुख्यालय नहीं छोड़ सकते। इस पर बैंक प्रशासन द्वारा जिस अधिनियम की जिस धारा के अन्तर्गत बी.एल.ओ. सुभाष गोयल को दिनांक 05.04.2014 से 07.04.2014 तक मुख्यालय छोडने की अनुमति जिस अधिकारी द्वारा जिस नियम के अन्तर्गत दी गयी है, उसका नाम व पद की सूचना व नियम की सूचना व प्रतिलिपि।	
6	दिनांक 05.04.20214 से 07.04.2014 तक मुख्यालय पर न रहने के उपरान्त दिनांक 06.04.2014 को मुख्यालय पर चुनाव में ड्यूटी निरन्तर जिस अवस्था में जिस अधिनियम के अन्तर्गत रह सकती है उसकी प्रमाणित सूचना मय दस्तावेज व नियम की सूचना व प्रमाणित प्रति।	
7	बी.एल.ओ. श्री सुभाष गोयल चुनाव ड्यूटी में जिस सेक्टर मजिस्ट्रेट के अधीन कार्यरत में उसका नाम व पद की मुख्यालय छोड़ने की अनुमति बैंक प्रशासन दिनांक 05.04.2014 से 07.04.2014 तक दी थी।	
8	बी.एल.ओ. श्री सुभाष गोयल लोकसभा चुनाव में किस अवधि में किस किस अवधि तक जो जो कार्य किये उसकी हस्तलिखित हस्ताक्षरित शपथ–पत्र पर सूचना व प्रमाणित प्रति।	
9	बी.एल.ओ. श्री सुभाष गोयल के पैतृक कार्यालय का चुनाव के कार्यों के निष्पादन के दौरान जो जो प्रशासनिक कार्य उसके नियंत्रण में होते है उन कार्यों की सूचना व नियम की प्रमाणित प्रति।	
10	बी.एल.ओ. पैतृक कार्यालय द्वारा [illegible] मूल पद के दायित्वों का [illegible] तौर पर प्रशास[illegible] (पुस्तकों 2011, पृष्ठ सं. 4 बिन्दु सं. 2) उपरोक्त कथन में बी.ए[illegible]ओ. मुख्यालय से बाहर जायेगा तो निर्वाचन विभाग से अनुमति लेगा या पैतृक विभाग से इस बाबत सूचना व नियम की प्रमाणित प्रति।	

Signature Not Verified
Digitally signed by Sourabh Swami
Date: 2023.05.19 17:17:48 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

11	दिनांक 05.04.20214 से 07.04.2014 तक मुख्यालय छोड़ने से पूर्व जिस निर्वाचन विभाग के अधिकार या बैंक अधिकारी से आवेदन दिया उसकी सूचना व आवेदन की प्रमाणित प्रति व उस आवेदन को जिस प्राप्ति पंजिका में दर्ज किया गया। उसका नम्बर व दिनांक व मार्किंग करने वाले अधिकारी का नाम व पद की सूचना व प्रमाणित प्रति।	

सहायक लोक सूचना अधिकारी
एवं उपखण्ड अधिकारी
श्रीगंगानगर

सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, श्रीगंगानगर ने उक्तानुसार अपीलार्थी को जवाब प्रेषित किया है। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 2(एफ) के अनुसार सूचना वही देय है **जिस पर लोक सूचना अधिकारी की पहुंच हो अर्थात दूसरे शब्दो में सूचना वही देय है जो निश्चित अभिलेखो में उपलब्ध हो** और प्रश्नात्मक रूप में नही होनी चाहिए। सूचना के रूप में प्रत्यर्थी न तो नई सूचना बना सकते है और न ही वे स्वयं का मत दे सकते है। लोक सूचना अधिकारी से यह अपेक्षित है कि वह आवेदक को सामग्री उसी रूप में प्रदान करे जिस रूप में लोक प्राधिकरण के पास उपलब्ध है। सामग्री में से कुछ तथ्यों को खोजकर नागरिक को ऐसे खोजे गये तथ्यो को प्रदान करना लोक सूचना अधिकारी का काम नही है। **इस अधिनियम के प्रावधानो के अन्तर्गत किसी लोक अधिकारी को किसी भी कार्य को किसी विशेष तरीके से करने या न करने के आदेश/निर्देश नही दिये** [illegible] अधिकार अधिनियम में प्रदत्त "सूचना" का अर्थ विभिन्न [illegible] सीमित है तथा जिस स्वरूप में सूचना उपलब्ध है [illegible] किया जा सकता है। सूचना के रूप में कोई सुझाव देना, किसी परिवेदना के [illegible]रण के लिए प्रार्थना करना अथवा किसी नियम या सामग्री के बारे में स्पष्टीकरण या उसकी व्याख्या प्राप्त करने की

Signature Not Verified
Digitally signed by Sourabh Swami
Date: 2023.05.19 17:17:48 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

कोई गुंजाईश नही है। **इस प्रकार लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, श्रीगंगानगर द्वारा अपीलार्थी को दिया गया उत्तर सही है, जिसमें किसी प्रकार के** हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नही होती है।

अतः उक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील खारिज की जाती है। आदेश की प्रति सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, श्रीगंगानगर को पालनार्थ भिजवाई जावें एवं अपीलार्थी को आदेश की प्रति सूचनार्थ भिजवाई जावे। **पत्रावली** बाद तरतीब़ तकमी़ल दाखि़ल दफ़्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 08.03.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सौरभ स्वामी)
जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

Signature Not Verified

Digitally signed by Sourabh Swami
Date: 2023.05.19 17:17:48 IST
Reason: SelfAttested